



स्पीड पोस्ट  
ई. मेल

भारत सरकार  
Government of India  
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
National Commission for Scheduled Tribes  
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

दिनांक: 05-11-2018

सिटिंग नोटिस

विषय: फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) का अभ्यावेदन।

संदर्भ: आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 05-07-2018 एवं स्मरण पत्र दिनांक 10-08-2018 / 18-09-2018.

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जाच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 15-11-2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. के. दुबे)

सहायक निदेशक  
दूरभाष-24615012

सेवा में,

जिला कलेक्टर,  
जिला – छपरा सारण,  
बिहार

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री सनोज कुमार,  
ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान,  
थाना दरियापुर,  
जिला छपरा सारण (बिहार)

9238-39  
5/11/18  
जाची किया  
ISSUED



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**  
**Government of India**  
**राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**  
**National Commission for Scheduled Tribes**  
 (A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. SM/1/2018/STGBH/SEFCC/RU-III

दिनांक: 05-11-2018

## सिटिंग नोटिस

विषय: फर्जी अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से नौकरी हासिल करने के संबंध में – श्री सनोज कुमार, ग्राम मटिहान, पोस्ट मटिहान, थाना दरियापुर, जिला छपरा सारण (बिहार) का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक 15-11-2018 को 02.00 बजे सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(आर. क. दुबे)  
सहायक निदेशक  
दूरभाष-24615012

सेवा में,

निदेशक,  
केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान,  
दिल्ली-मथुरा रोड़, पी.ओ. सीआरआरआई,  
नई दिल्ली - 110025

9252  
6/11/18  
जाची  
ISSUED